HRAA HANNA USIUSI The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1912] No. 1912] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 24, 2012/आश्विन 2, 1934 NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 24, 2012/ASVINA 2, 1934

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2012

का.आ. 2286(अ).—केन्द्रीय सरकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 22क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 789(अ), तारीख 20 मार्च, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

2. उक्त अधिसूचना के क्रम संख्यांकों (6) और (7) में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(6) श्री ए.एन. रामन, प्लाट 10,

पी.एन. मुथुकुमारस्वामी सेलई, बेबीनगर, प्रथम मेन रोड, बेलाचरी, चेन्नई-600042

(7) श्री बृज मोहन शर्मा, बी.एम. शर्मा और एसोसिएट, बी. 2, नीलसदन अपार्टमेंट्स, 1426, सदाशिव पेठ, पुणे विद्यार्थी गृह के पीछे, पुणे-411030

3. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

—सदस्य

[लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1956 (1959 का 23) की धारा 22क के अधीन नियुक्त]

—सदस्य''

[लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1956 (1959 का 23) की धारा 22क के अधीन नियुक्त]

[फा. सं. 12/15/2007-पीआई]

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 789(अ), तारीख 20 मार्च, 2009 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उसका अधिसूचना सं. का.आ. 567 (अ), तारीख 15 मार्च, 2011 द्वारा पश्चात्वर्ती संशोधन किया गया।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2012

S.O. 2286(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22A of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949) the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Corporate Affairs, number S.O. 789(E), dated the 20th March, 2009, namely:—

2. In the said notification, in serial numbers (6) and (7), for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:—

"(6) Shri A.N. Raman
Plot 10,
P.N. Muthukumaraswamy, Salai Baby Nagar,
1st Main Road Velachery,
Chennai-600042

—Member
[Appointed under Section 22A of the Cost and Works Accountants Act, 1956 (23 of 1959)]

(7) Shri Brij Mohan Sharma, B.M.Sharma and Associate B-2, Neelsadan Apartments, 1426, Sadashiv Peth Opp. Pune Vidyarthi Griha, Pune-411030. —Member"
[Appointed under Section 22A of the Cost and Works Accountants Act, 1956 (23 of 1959)]

3. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 12/15/2007-PI]

MANOJ KUMAR, Jt. Secy.

Note: The Principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 789(E), dated the 20th March, 2009 and subsequently amended *vide* number S.O. 567(E), dated the 15th March, 2011.